



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com

No- CHG/KWD/BX-07CHG09003

दिनांक -23/3/2017

प्रेषित- खान प्रबंधक, दलदल्ली बाकसाईट खान

मेसेर्स सी एम डी सी लि.

सोना खान भवन, रिंग रोड-1, पुरेना,

पोस्ट- रविग्राम, रायपुर

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में स्थित आपकी दलदली बोक्साईट खदान 5.313 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 9/3/2017 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री दीपक गुप्ता खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(4)	Review Of Mining plan has not been submitted to competent authority 180 days before expiry of five years period for which it was approved for mining operations for a period of five subsequent years
14	All the non saleable or unusable Bauxite Mineral above the threshold value of minerals have not been stacked separately in mine.
45(5)(c)	खान की वर्ष 2015-16 की वार्षिक विवरणिया ऑनलाइन नहीं भरी हैं। वार्षिक विवरणिया www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तिय वर्ष के समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए थी।
46	Notice of appointment of owner/agent/ mining engineer and Geologist have not been submitted to this office.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(क) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि & for information please

1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

2 [kfyd] Hkfedh ,oa [kfude] NRrhl x<] bntorh Hkou] f}rhr; ry] Mh Gykd] dsi Vy dMlyDI] u; k jk; i] NRrhl x<

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर